


#### ः : आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय , वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कः: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2<sup>nd</sup> Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,



Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in



रजिस्टर्डडाकए.डी. द्वारा :-

DIN-20230364SX000000D09D

क अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No. मूलआदेशमं / OlO No. दिनांक/

Date

GAPPL/COM/STP/470/2023

140/D/2022-23

07-12-2022

ख अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.):

## RAJ-EXCUS-000-APP-083-2023

आदेश का दिनांक /

29.03.2023

जारी करने की तारीखं/

30.03.2023

Date of Order:

27.03.2023

Date of issue:

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त / सहायक आयुक्त , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सेवाकर /वस्तु एवंसेवाकर , राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरिलखित जारी मूल आदेश से सृजित : /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional / Joint / Deputy / Assistant Commissioner , Central Excise / ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

### M/s. Shamjibhai Karshanbhai Rangpariya, Devkriti Shopping Center, Opp New Bus Stand, Sanala Road, Morbi-363641. Gujarat

इस आदेश(अपीन) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 की धारा 35 þ के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम , 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखि+त जगह की जा सकती है।/

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर॰ के॰ पुरेब, नई दिख्ली, को की जानी चाहिए।/

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावा अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2<sup>nd</sup> Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii)
अपीलीय न्यायाधिकरण के सुमझ अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग, ज्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक हैं तो कमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति सलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजन्दा के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राप्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, वैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1 000/- Rs. 5000/- Rs. 10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in layour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से केम एक प्रति के साथ, जहां सेबाकर की मांग, अयाज की मांग और लगाया गया जुर्माना, रूपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अधवा 10,000/-रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संखग्न करें। निर्धारित शुल्क का भगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees.

(B)

- वित्त अधिनियम,1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9 (2) एवं 9 (2A) के तहत निर्धारित प्रपन्न S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुक्क श्रित की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क / सेवाकर, को अपीलीय न्यायिकरण को आवेद वर्ष करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise / Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. (i)
- (ii)

Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिवियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लाग की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलोय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का मुगतान किया जाए, बशर्त कि इस धारा के अंतर्गत रकमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

(i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम

(ii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्त यह कि इस धारा के प्रावधान वितीय (सं॰ 2) अधिनियम 2014 के आरंग से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचार्राधीन स्थान अग्री एवं अपील को लागू नहीं होगे।/

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

HITT सरकार को पुनरीकाण आवेवन:

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षण आवेदन के अंतर्गतअवर सचिव,
भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन के अंतर्गतअवर सचिव,
भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन के काई,वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी, मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया
जाना चाहिए।
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry
of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001,
under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) (C)

यदि माल के किसी नुक्सान के मामले में, जहां नुक्सान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुक्सान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

यदि उत्पाद शुरूक का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी केडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं।/
Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्न संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत बिनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील अदिश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ वेताहिए। ऐति के प्रति संलग्न की आदी संलग्न की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के किल्प के अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। साथ के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की संलग्न की अद्याप के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की स (v)

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi),

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थित अपीलीय नयाधिकरण को एक अपीला या केदीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case,if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)

यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रूपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended. (E)

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबमाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in (G)



# अपील आदेश /ORDER-IN-APPEAL

Shri Shamjibhai Karshanbhai Rangpariya, Devkirti Shopping Center, Opp. New Bus Stand, Sanala Road, Morbi-363 641 (hereinafter referred to as the appellant) have filed Appeal No. GAPPL/COM/STP/470/2023 against Order-in-Original No.140/D/2022-23 dated 07.12.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central GST, Division-I, Morbi (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

- 2. Facts of the case, in brief, are that as per data received from the Income Tax department, the appellant appeared to have received various amounts as consideration for providing taxable service during the period 2015-16 and 2016-17. It appeared that the appellant had not obtained Service tax registration and did not pay service tax. Therefore, a show cause notice dated 11.12.2020 was issued to the appellant demanding service tax of Rs.2,19,190/- and proposing penalties under Sections 77 and 78 of the Finance Act, 1994. The adjudicating authority, by the impugned order, confirmed the demand along with interest under Section 75 of the Finance Act 1994 and imposed penalty of Rs.2,19,190/- under Section 78 of the Finance Act 1994. He also imposed penalties of Rs.10,000/- under Section 77(1)(a), Rs.10,000/- under Section 77(1)(c) and Rs.10,000/- under Section 77(2) of the Finance Act, 1994.
- Being aggrieved, the appellant filed the present appeals wherein they, inter alia, contended that it is a proprietorship concern engaged in agricultural activities and commission from sale/purchase of agricultural produce. The appellant submitted that commission from sale/purchase of agricultural produce falls under negative list vide Section 66D(d)(vii).
- 4. Shri D.P. Kanzaria, consultant appeared for personal hearing held on 14.03.2023 and submitted that the appellant is trading in agricultural produce and APMC market and is also a farmer but he is not providing any service to anyone. Copy of land records, balance sheet, profit and loss account, account statements, ITR, Form 26AS etc are enclosed. The adjudicating authority has confirmed demand ex-parte, on presumption, without ascertaining nature of service alleged to have been provided. He requested to set aside the impugned order.
- 5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, the appeal memorandum and written as well as oral submissions made by the Appellant. The matter to be decided is whether the impugned order confirming the demand of service tax is proper and justifiable.

The main contention raised by the appellant is that he is engaged in Page 3 of 4.

Kil

trading of agricultural produce and commission from trading of agricultural produce is falling under negative list. While going through the profit and loss account, I find that the appellant has shown income of Rs.11,44,040/- in 2015-16 and Rs.14,61,270/- in 2016-17 as 'Dalali Income' which means the income was from commission. Though the appellant claimed that the said income is from commission for sale/purchase of agricultural produce, they had not produced any evidence in support of their claim. Further the appellant, at one place, contended that he was engaged in agricultural activities and commission from sale/purchase of agricultural produce and at the time of personal hearing contended that he is trading in agricultural produce and is also a farmer but he is not providing any service to anyone. The appellant could not give any plausible explanation to the income shown as 'Dalali Income' in the profit and loss account. Therefore, I hold that the service provided by the appellant is taxable as 'commission income' and is liable to pay service tax on the same. Since the demand is sustainable, the appellant is also liable to penalties as imposed by the adjudicating authority.

- 7. In view of above, I uphold the impugned order and reject the appeal.
- ८. अपीलकरता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- 8. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above. सत्यापित / Attested

Delegion

Superintendent
Central GST (Appeals)
Rajkot

(शिव प्रताप सिंह/ SHIV PRATAP SINGH) आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

सेवा में

श्री शंजिभाई करशानभाई रंगपरिया, देवकीर्ति शॉपिंग सेंटर, बस स्टैंड के सामने, सनाला रोड, मोरबी-363 641 To

Shri Shamjibhai Karshanbhai Rangpariya, Devkirti Shopping Center, Opp. New'Bus Stand, Sanala Road, Morbi-363 641

#### मिलिमि .

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद
- 2) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट
- 3) सहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल मोरबी -I
- 4) गार्ड फ़ाइल।

